FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0148 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/07/2024 17:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:57 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/07/2024 17:02:50 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** G.S.S. MUKHY DWAR KE SAMNE, KUCHERA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

[redacted]

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RAMGOPAL BAWARI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** NAINARAM BAWRI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KUCHERA, KUCHERA, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KUCHERA, KUCHERA, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAYPRAKASH		पिता:VEERBHADUR	1. NAGLA PANJABA,फर्रूखाबाद कोतवाली,फतेहगढ़,उत्तर प्रदेश,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 20,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिश अधिश्क, भ्रष्टाचार नीरोधक ब्योरो, नागौर (राज0) विषय - बिजली विभाग के लाईनमेन को रिशवत लेते हुऐ रंगे हाथ पकडाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि में रामगोपाल बावरी पुत्र श्री नेनाराम बावरी उम्र 30 साल जाती बावरी निवासी कुचेरा जीला नागौर का रहनें वाला हुं मेरे घर पर में अलग से वेल्डींग मशीन लगवाकर कार्य करना चाहता हुं जीस पर मुझे 3 फेस बिजली की आवष्यता है जिसकी मेंने फाईल तैयार कर लाईनमेन जयप्रकाश शर्मा को जमा करवाई थी जिस पर लाईनमेन जयप्रकाश ने कनेक्शन हेतु मेरे से 35 हजार रूपये रिश्वत कि मांग कि थी में मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत देना नही चाहता हुं मेरे से इस कार्य के पूर्व में दिनांक 15.07.2024 को 10000 रूपये ले चुका है और मेरे से 25000 रूपये रिश्वत कि मांग कर रहा है में रिश्वत नहीं देना चाहता हुं लाईनमेन को रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हुं मेरा जयप्रकाश लाईनमेन से कोई उधार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजिश है कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 18.07.2024 प्रार्थी एसडी रामगोपाल, रामगोपाल s/o नेनाराम, निवासी कुचेरा। मो. श्री तेजाराम जी पुलिस निरीक्षक ट्रेप कार्यवाही करें। एसडी कल्पना सोलंकी 18.07.2024 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 18.07.2024 को वक्त 11.30 ए.एम. परिवादी श्री रामगोपाल पुत्र श्री नैनाराम, जाति बावरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुचेरा, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर व सहपरिवादी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री चम्पालाल जाति बावरी, उम्र 26 वर्ष निवासी कुचेरा, जिला नागौर उपस्थित कार्यालय आये व परिवादी श्री रामगोपाल ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमती कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को इस आशय का पेश किया कि में रामगोपाल बावरी पुत्र श्री नेनाराम बावरी उम्र 30 साल जाती बावरी निवासी कुचेरा जीला नागौर का रहनें वाला हुं मेरे घर पर में अलग से वेल्डींग मशीन लगवाकर कार्य करना चाहता हुं जीस पर मुझे 3 फेस बिजली की आवश्यता है जिसकी मेंने फाईल तैयार कर लाईनमेन जयप्रकाश शर्मा को जमा करवाई थी जिस पर लाईनमेन जयप्रकाश ने कनेक्शन हेतु मेरे से 35 हजार रूपये रिश्वत कि मांग कि थी में मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत देना नही चाहता हुं मेरे से इस कार्य के पूर्व में दिनांक 15.07.2024 को 10000 रूपये ले चुका है और मेरे से 25000 रूपये रिश्वत कि मांग कर रहा है में रिश्वत नहीं देना चाहता हुं लाईनमेन को रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हुं मेरा जयप्रकाश लाईनमेन से कोई उधार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजिश है कानूनी कार्यवाही करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं अनपढ हूं। मुझे पढना लिखना नहीं आता है। मेरे साथ मेरा दोस्त रामस्वरूप आया है, जिसने प्रार्थना पत्र लिखा था तथा लाईनमैन जयप्रकाश मेरे से बात कम करता है। मेरे दोस्त रामस्वरूप पर भरोसा करता है तथा खुलकर बात करता है। मेरे कार्य से संबंधित मेरे दोस्त रामस्वरूप को रिश्वत राशि देने के लिए बोलता है। रामस्वरूप मेरे साथ होने पर ही जयप्रकाश मेरे से रिश्वत संबंधी वार्ता करेगा। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक तेजाराम को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी से परिचय करवाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल व सहपरिवादी श्री रामस्वरूप से परिचय किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढा गया व परिवादी से दरियाफ्त की गई तो मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड कार्यालय आलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री रामगोपाल को उसे ऑपरेट करने व श्री जयप्रकाश लाईनमैन के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व लेन-देन के सम्बन्ध में वार्ता करने की समझाईश कर कार्यालय के श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 नम्बर 39 को तलब कर परिवादी व सहपरिवादी से परिचय करवाते हुए कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादीगण के साथ कुचेरा रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 08.00 पी.एम. पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 नं0 39 तारीख ईमरोजा का गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि निर्देशानुसार मैं व परिवादीगण एसीबी चौकी नागौर से रवाना होकर कुचेरा पहुंचे जहां सहपरिवादी श्री रामस्वरूप ने आरोपी श्री जयप्रकाश से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर मिलने हेतु पूछा तो बताया कि मैं आपके घर पर ही आ रहा हूं। जिस पर मैंने परिवादी श्री रामगोपाल को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया तथा मैं साईड में जाकर इन्तजार

[redacted]

करने लगा। थोड़ी देर बाद आरोपी श्री जयप्रकाश परिवादी के घर के सामने आया जहां परिवादी व सहपरिवादी से मिला और काम के संबंध में वार्ता की। आरोपी के जाने के बाद मैं परिवादीगण से मिला और डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री जयप्रकाश लाईनमैन ने मेरे थ्री फैस कनेक्शन करवाने के लिए 20,000 रूपये रिश्वत राशि एक दो दिन में देने का बोला है। जिस पर मैंने आपके मोबाईल निर्देशानुसार परिवादी श्री रामगोपाल को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 20.07.2024 को वक्त 08.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय नागौर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी व उसके दोस्त एवं आरोपी के मध्य कार्य से संबंधित वार्ता रिकॉर्ड होना व आरोपी द्वारा परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 19.07.2024 को श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 नं0 39 को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नागौर के नाम की तहरिर देकर पंचायत समिति, नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री सन्ताराम पुत्र श्री भानीराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष, निवासी उटवालियां, पुलिस थाना श्रीबालाजी, तहसील नागौर व जिला नागौरहाल वरिष्ठ सहायक, पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर व श्री बलवीर धायल पुत्र श्री देवकरण, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी संजय कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर कल दिनांक 20.07.2024 को सुबह 08.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय नागौर में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया तथा समस्त कार्यालय स्टाफ को भी सुबह 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 20.07.2024 को वक्त 08.00 ए.एम. पर पूर्व निर्देशानुसार परिवादी श्री रामगोपाल व सहपरिवादी श्री रामस्वरूप आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित कार्यालय आये हैं तथा पूर्व से पाबंद सुदा कार्यालय स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान श्री सन्ताराम व श्री बलवीर धायल कार्यालय में उपस्थित है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री सन्ताराम व श्री बलवीर धायल को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार है - 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 2UD 877934, 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 0WV 976422, 3. पांच सौ रूपये का एक नोट 4HW 904228, 4. पांच सौ रूपये का एक नोट 7LF 835399, 5. पांच सौ रूपये का एक नोट 9BU 749130, 6. पांच सौ रूपये का एक नोट 5CL 067274, 7. पांच सौ रूपये का एक नोट 7VV 646360, 8. पांच सौ रूपये का एक नोट 1CG 410360, 9. पांच सौ रूपये का एक नोट 2PN 621757, 10. पांच सौ रूपये का एक नोट 8VC 370087, 11. पांच सौ रूपये का एक नोट 0GU 219150, 12. पांच सौ रूपये का एक नोट 6EW 662238, 13. पांच सौ रूपये का एक नोट 9QS 386919, 14. पांच सौ रूपये का एक नोट 4HU 210302, 15. पांच सौ रूपये का एक नोट 1QF 256698, 16. पांच सौ रूपये का एक नोट 4TP 756611, 17. पांच सौ रूपये का एक नोट 1HE 063974, 18. पांच सौ रूपये का एक नोट 8SA 655634, 19. पांच सौ रूपये का एक नोट 3UU 375067, 20. पांच सौ रूपये का एक नोट 4DQ 330882, 21. पांच सौ रूपये का एक नोट 6QB 819850, 22. पांच सौ रूपये का एक नोट 3AQ 217056, 23. पांच सौ रूपये का एक नोट 5HR 299946, 24. पांच सौ रूपये का एक नोट 6TA 825543, 25. पांच सौ रूपये का एक नोट 6TF 977893, 26. पांच सौ रूपये का एक नोट 7TC 032887, 27. पांच सौ रूपये का एक नोट 1SE 683251, 28. पांच सौ रूपये का एक नोट 6NV 842263, 29. पांच सौ रूपये का एक नोट 9DQ 132482, 30. पांच सौ रूपये का एक नोट 3HG 549256, 31. पांच सौ रूपये का एक नोट 5MH 454314, 32. पांच सौ रूपये का एक नोट 4CN 397354, 33. पांच सौ रूपये का एक नोट 9BK 648443, 34. पांच सौ रूपये का एक नोट 1FB 172208, 35. पांच सौ रूपये का एक नोट 8ER 677581, 36. पांच सौ रूपये का एक नोट 1AA 255302, 37. पांच सौ रूपये का एक नोट 4BA 928984, 38. पांच सौ रूपये का एक नोट 6RE 484747, 39. पांच सौ रूपये का एक नोट 0GN 479628, 40. पांच सौ रूपये का एक नोट 9NA 366263 तत्पश्चात् प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर कार्यालय के श्री मोहनराम हैड कानि0 नं0 64 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री रामगोपाल की जामा तलाशी गवाह श्री सन्ताराम से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री मोहनराम हैड कानि0 से परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट की दायीं जेब में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री रामगोपाल को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा

अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री मोहनराम हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा पुनः श्री मोहनराम हैड कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्री मोहनराम हैड कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री रामगोपाल को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा श्री मोहनराम हैड कानि0 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। वक्त 09.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक तेजाराम मय स्वतंत्र गवाहान श्री सन्ताराम व श्री बलवीर धायल मय परिवादी श्री रामगोपाल व सहपरिवादी श्री रामस्वरूप मय ट्रेप दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39, श्री बालाराम कानि0 554, श्री नेमीचन्द कानि0 405, श्री कानाराम कानि0 532, श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150 व श्री प्रेमाराम कानि0 218 जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह नं0 355 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व एक प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी नागौर से रवाना होकर कस्बा कुचेरा बाईपास पर पहुंचे। जहां परिवादी श्री रामगोपाल द्वारा आरोपी से जरिये मोबाईल वार्ता करनी चाही मगर आरोपी द्वारा फोन रिसिव नहीं किया गया, थोड़ी देर बाद आरोपी श्री जयप्रकाश ने सहपरिवादी श्री रामस्वरूप के मोबाईल पर फोन कर जी.एस.एस. कुचेरा के सामने मिलने हेतु कहा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की मोटरसाईकिल से जी.एस.एस. कुचेरा की तरफ रवाना कर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को परिवादी व सहपरिवादी के पिछे-पिछे रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए जी.एस.एस. कुचेरा के आस-पास सड़क पर सरकारी व प्राईवेट वाहनों को खड़ा कर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 10.57 ए.एम. पर परिवादी श्री रामगोपाल ने जी.एस.एस. कुचेरा के मुख्य द्वार के सामने स्थित चाय के ढाबे के सामने खड़ा होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास जी.एस.एस. कुचेरा के मुख्य द्वार पर स्थित चाय के ढाबे के पास पहुंचा एवं परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री रामगोपाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व मेरा दोस्त रामस्वरूव दोनों श्री जयप्रकाश लाईनमैन से जी.एस.एस. कुचेरा के सामने स्थित चाय के ढाबे पर मिले और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा श्री जयप्रकाश लाईनमैन द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर मैंने रिश्वत राशि 20,000/- रूपये अपनी पेंट की दांयी जेब में से निकालकर श्री जयप्रकाश को दी, जिस पर श्री जयप्रकाश लाईनमैन ने उक्त रिश्वत राशि अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर अपने पहनी जींस पेंट की बांयी जेब में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया तथा परिवादी ने अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि मेरे पास बैठा व्यक्ति ही श्री जयप्रकाश लाईनमैन है, जिसने मेरे से अभी-अभी 20,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी जींस पेंट की बांयीं जेब में रखे है। जिस पर परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री जयप्रकाश पुत्र श्री वीर बहादुर, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 साल, निवासी नंगला पंजाबा, पोस्ट याकूतगंज, पुलिस थाना फतेहगढ, जिला फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश हाल तकनिकी सहायक प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. कुचेरा, जिला नागौर होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी तकनिकी सहायक को परिवादी श्री रामगोपाल से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी जयप्रकाश ने बताया कि मैंने श्री रामगोपाल से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, जिस पर पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने श्री रामगोपाल से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, उसने डिमाण्ड के लिए 20,000/- रूपये मुझे दिये हैं। मैंने उक्त रूपये लेकर मेरे पहनी जींस पेंट की बांयी जेब में रखे हैं, जो अभी भी मेरी जेब में है। आरोपी श्री जयप्रकाश के उक्त कथन पर परिवादी श्री रामगोपाल ने स्वतः ही बताया कि मैं व मेरा दोस्त रामस्वरूप दिनांक 15.07.2024 को मेरे वैल्डिंग की दूकान में थ्री फैस बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए श्री जयप्रकाश जी से मिले

तो जयप्रकाश जी ने हमें बताया कि मैं तेरे फाईल तैयार करवाकर थ्री फैस कनेक्शन करवा दूंगा, जिसके लिए आपको 35,000/- रूपये मुझे खर्चा पानी के देने पड़ेंगे। जिस पर मैंने बताये गये कागजात व 10,000/- रूपये रिश्वत राशि के श्री जयप्रकाश लाईनमैन को उसी दिन दे दिये। उसके बाद मैं व मेरा दोस्त दिनांक 18.07.2024 को श्री जयप्रकाश जी से हमारे घर के सामने मिले तथा मेरे थ्री फैस बिजली कनेक्शन के संबंध में बातचीत की तो श्री जयप्रकाश जी ने फाईल तैयार करवाकर कनेक्शन करवाने के पूरे काम के 30,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि के मांगकर 20,000/- एक दो दिन में देना तय हुआ, जो आज इनके कहेनुसार 20,000/- रूपये रिश्वत राशि मैंने अभी-अभी इनको दिये हैं, इन्होंने रूपये अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर अपने पहनी जींस पेंट की बांयी जेब में रख लिये थे, इसके बाद मैंने सिर पर हाथ फेरकर आपको ईशारा किया था। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री जयप्रकाश का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमश कानि0 श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 व श्री राजेन्द्र कानि0 से पकड़वाये गये। गवाह श्री सन्ताराम से आरोपी श्री जयप्रकाश की जामा तलाशी लिरवाई गयी तो आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट की बांयी जेब में 500-500 रूपये के नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री सन्ताराम के पास सुरक्षित रखवाये गये। (नोट- जी.एस.एस. कुचेरा के सामने स्थित चाय का ढाबा मुख्य सड़क पर स्थित होने से आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल के पुलिस थाना कुचेरा लेकर पहुंचा। थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा से अग्रिम कार्यवाही थाने में करने की अनुमति प्राप्त कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना कुचेरा के स्वागत कक्ष में शुरू की गई।) तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी जयप्रकाश के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी जयप्रकाश के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी जयप्रकाश के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई जींस पेंट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर जींस पेंट की बांयी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जींस पेंट को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री सन्ताराम के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहों से रिश्वती राशि 20,000/- रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। जिस पर उपरोक्त सभी नोटों (20,000/- रूपये) को कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। ताबाद आरोपी श्री जयप्रकाश तकनिकी सहायक से परिवादी श्री रामगोपाल के घर में स्थित वैल्डिंग की दूकान में थ्री फैस बिजली का कनेक्शन करवाने संबंधी कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी जयप्रकाश ने बताया कि श्री रामगोपाल के थ्री फैस बिजली कनेक्शन की फाईल मेरे सरकारी आवास पर है, जिस पर मेरी रिपोर्ट कर कार्यालय में पेश करनी शेष है। जिस पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को भेजकर आरोपी श्री जयप्रकाश के सरकारी क्वार्टर से परिवादी श्री रामप्रकाश के थ्री फैस बिजली कनेक्शन से संबंधित मूल पत्रावली (कुल पृष्ठ 11) मंगवाई जाकर बाद अवलोकन संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी श्री रामगोपाल, सहपरिवादी श्री रामस्वरूप एवं आरोपी श्री जयप्रकाश के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी। इस प्रकार आरोपी श्री जयप्रकाश, तकनिकी सहायक प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. कुचेरा, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल के घर में स्थित वैल्डिंग की दूकान में थ्री फैस बिजली कनेक्शन करवाने की एवज में आरोपी तकनिकी सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 30,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 20,000/- रूपये देना तय कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 20.07.2024 को रिश्वत राशि 20,000/- रूपये जी.एस.एस. कुचेरा के सामने स्थित चाय के ढाबे पर ग्रहण करने व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री जयप्रकाश की जींस पेंट की बांयी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री वीर बहादुर, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 साल, निवासी नंगला पंजाबा, पोस्ट याकूतगंज, पुलिस थाना फतेहगढ, जिला फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश हाल तकनिकी सहायक प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. कुचेरा, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री जयप्रकाष, तकनिकी सहायक को उपरोक्त जुर्म से

आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त 12.30 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री जयप्रकाश तकनिकी सहायक मय परिवादी व सहपरिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन मय चालक के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर व जब्त सुदा माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना कुचेरा से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 18.07.2024 को आरोपी एवं परिवादी व सहपरिवादी के मध्य हुई काम से संबंधित वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. डीवीडी, पैन ड्राईव व सील्ड सुदा मैमोरी कार्ड गोपनीयता की दृष्टि से मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 20.07.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेपरिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. डीवीडी, पैन ड्राईव व सील्ड सुदा मैमोरी कार्ड गोपनीयता की दृष्टि से मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा 20,000/- रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P, P-1, P-2, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री जयप्रकाश हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री रामगोपाल व सहपरिवादी श्री रामस्वरूप तथा स्वतंत्र गवाहान श्री सन्ताराम वरिष्ठ सहायक व श्री बलवीर धायल कनिष्ठ सहायक को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री जयप्रकाश, तकनिकी सहायक प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. कुचेरा, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल के घर की दूकान में वैल्डिंग मशीन का कार्य करने हेतु थ्री फैस बिजली कनेक्शन की फाईल तैयार कर कनेक्शन करवाने की एवज में आरोपी तकनिकी सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 30,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेना तय करना व मांग के अनुसरण में दिनांक 20.07.2024 को रिश्वत राशि 20,000/- रूपये ग्रहण करना व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री जयप्रकाश के पहनी जींस पेंट की बांयीं जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री वीर बहादुर, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 साल, निवासी नंगला पंजाबा, पोस्ट याकूतगंज, पुलिस थाना फतेहगढ, जिला फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश हाल तकनिकी सहायक प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. कुचेरा, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय एसडी /- (तेजाराम) पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री तेजाराम पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री वीर बहादुर, उम्र 45 साल, निवासी नंगला

पंजाबा, पोस्ट याकूतगंज, पुलिस थाना फतेहगढ, जिला फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश हाल तकनिकी सहायक प्रथम, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. कुचेरा, जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मीरा बेनीवाल पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 28 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 774-77 दिनांक 21.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर प्रथम । 2. प्रबन्ध निदेशक ए.वी.वी.एन.एल. अजमेंर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेंर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** meera beniwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

विशनाराम
पुलिस अधीक्षक–प्र सन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान, ज पुर

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)